

कार्यालय कलेक्टर जिला बैतूल, एवं समुचित सरकार,
मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग

क्रमांक 25 अ-82/17-18/4218

बैतूल दिनांक 4-08-2018

प्रारंभिक अधिसूचना

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची-1, के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	मुलताई	कुटखेडी	4.191	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग मुलताई जिला बैतूल	पारसडोह मध्यम सिंचाई उद्वहन परियोजना

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

पारसडोह मध्यम उद्वहन सिंचाई परियोजना में ग्राम कुटखेडी की निजी भूमि प्रभावित होने से				
क्र.	कृषक भूमि स्वामी का नाम	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5
1	रघुनाथ व. जन्या कुन्बी सा. देह	212/3	2.711	0.160
		212/7	0.446	0.190
		215/4	0.070	0.070
2	लता जौ. मनोहर जाति कुबी सा० देह	141/3	0.253	0.253
3	मंजी बेवा श्यामू रामराव शेषराव देवराव व० श्यामू पूंजी जानता गुन्ता पिता श्यामू जाति कुन्बी सा० पौनी भूमि स्वामी	236/2	0.243	0.100
		212/5	3.540	1.200
4	गुन्ता बेवा दयाराम, हेमंत व० दयाराम लीला निर्मला आशा पिता दयाराम सुलका पिता आत्माराम नवल किशोर गोकुल मनोहर गुडडू व० फुस्ल्या कुसुम शकुन सुमन पिता फुस्ल्या जाति किराड सा० पौनी भूमि स्वामी	104/5	1.604	0.080
5	पारबती बेवा मिटठू सनम बाबाराव व० मिटठू मित्रा पिता मिटठू कमला जया सया पूर्णा पिता पूंज्या जाति कुन्बी सा० पौनी भूमि स्वामी	128/3	0.307	0.140
		136/4	0.129	0.109
6	आत्माराम गेंदू तापी चंद्रकला पिता गेंदू वामन व० भैयाजी गुनी रेणुका सिंधू पिता भैयाजी पता सा० देह भूमि स्वामी	225	1.234	0.300

7	श्रावण व० गंगाराम कौसू उर्फ सुशिला काशी उर्फ कासू भागू पिता गंगाराम पता नि० ग्राम सा० देह भूमि स्वामी	233/4	0.251	0.251
8	चिंधी पिता संपत्ति जाति कुंबी सा० पौनी भूमि स्वामी	212/6	0.668	0.041
		215/3	0.922	0.020
		236/3	0.284	0.081
9	सोनी बेवा गरीब्या, नारायण रामजी व० गरीब्या ठगू पिता गरीब्या अजाबराव पंजाबराव साहेबराव वामनराव व० बाजेराव कासाबाई पिता बाजेराव जाति कुंबी पता नि० पौनी भूमि स्वामी	204/1	1.436	0.856
10	जयवंती सकु पिता भूरा गोविंदा बबलू कैलाश व० संतोषराव मीरा अनिता सुनिता पिता संतोषराव पता सा० देह भूमि स्वामी	149	1.538	0.070
11	रामदयाल व० आत्माराम सुलका उर्फ नान्ही पिता आत्माराम नवलकिशोर गोकूल मनोहर गुड्डू उर्फ अशोक व० फुस्ल्या उर्फ पुरषोत्तम, कुसुम शकुन उर्फ सकुंतला सुमन उर्फ सुनीता पिता फुस्ल्या उर्फ पुरषोत्तम जाति किराडू सा० पौनी भूमि स्वामी	104/7	0.572	0.140
12	भैया व० राघो चिंधीबाई बेवा रामा विष्णु व. रामा काशी पिता रामा चंद्रकला बेवा देवराव लौकैश ना.बा. व. देवराव ऐश्वर्या ना.बा. पिता देवराव वली मा चंद्रकला जाति कुंबी सा० पौनी भूमि स्वामी	104/11	0.480	0.130
	महायोग	18	16.688	4.191

- 1- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है।
- 2- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।
- 3- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा
आदेशानुसार,


(शशांक मिश्र)

कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग



3

पृ0क0 25 अ-82/वर्ष 17-18 /कूटखेडी/4218

बैतूल दिनांक 4-4-2018

प्रतिलिपि:-

- 1- उपनियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय एवं लेखन सामग्री केन्द्रीय मुद्रणालय, म0प्र0 भोपाल की ओर म0प्र0 राजपत्र भाग एक में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
- 2- संचालक, जनसम्पर्क संचालनालय, विज्ञापन शाखा बानगंगा चौराह के पास, भोपाल को सूचनार्थ (पांच प्रतियों में) अग्रेषित। कृपया उक्त अधिसूचना का प्रकाशन दो दैनिक समाचार पत्रों में कर इस कार्यालय को अवगत कराने तथा समाचार पत्रों की प्रतियां भी भेजने का कष्ट करें।
- 3- कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग मुलताई को सूचनार्थ अग्रेषित। अधिसूचना का प्रकाशन कार्यालयीन सूचना पटल पर करवाया जाकर पालन प्रतिवेदन तथा प्रकाशन के पेपर प्रतियां एक माह के भीतर प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।
- 4- प्रभारी एन आई सी सेन्टर बैतूल की ओर समूचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर अपलोड किए जाने हेतु अग्रेषित ।
- 5- प्रभारी अधिकारी (नजारत शाखा) कलेक्टर कार्यालय बैतूल की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्था करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 6- अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुलताई की ओर (दो प्रतियों में) अग्रेषित। एक प्रति कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्था करवाएं तथा एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 7- तहसीलदार मुलताई की ओर (तीन प्रतियों में) में अग्रेषित । एक प्रति तहसील कार्यालय में तथा एक प्रति अर्जन हेतु प्रस्तावित स्थल पर चस्था करावे एवं एक प्रति में पालन प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।
- 8- जिला जनसम्पर्क अधिकारी, बैतूल की ओर सूचनार्थ अग्रेषित । प्रकाशित विज्ञापन की प्रति कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) बैतूल को उपलब्ध करावें।
- 9- सरपंच/सचिव ग्राम पंचायत कूटखेडी तहसील मुलताई जिला बैतूल (म0प्र0) की ओर उक्त प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल पर करवाने हेतु अग्रेषित ।

कलेक्टर बैतूल एवं समुचित सरकार
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग